

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 2—पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4—समस्त पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 5—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6—समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
- 7—पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) उ0प्र0।

गृह(पुलिस)अनुभाग—15

लखनऊ: दिनांक १५ नवम्बर, 2017

विषयः—“सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम—2003,” (सी0ओ0टी0पी0ए0—2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तगण को प्रेषित एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ व श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या—682 / 6—पु0—15—2015 दिनांक 7—10—2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 7—10—2015 द्वारा उ0प्र0 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम—2003 के कतिपय प्राविधानों को मण्डलायुक्त के नेतृत्व में लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है, तथा सी0ओ0टी0पी0ए0—अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तगण को स्वयं नेतृत्व प्रदान करते हुए मण्डलीय समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को इस विषय के बारे में संवेदनशील बनाये जाने तथा मण्डल स्तर पर प्रोबेशनरी आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 / आई0पी0एस0 / पी0पी0एस0 अधिकारियों को इस कार्यक्रम में अपने योगदान हेतु अवसर प्रदान किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

3— उक्त आदेशों के क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम—2003 के प्रभावी क्रियान्वयन / प्रवर्तन हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

- (1) पुलिस विभाग में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की समीक्षा, अनुश्रवण, रिपोर्टिंग एवं प्रवर्तन हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी को नामित करते हुये इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- (2) शासन के पत्र संख्या-682/6-पु0-15-2015 दिनांक 07, अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के क्रियान्वयन की नियमित मासिक समीक्षा मण्डलायुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर की जाय।
- (3) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-3(249)/2007, दिनांक-23, दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जनपदों से प्रतिमाह अनुपालन आख्या प्राप्त कर राज्य स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण भी किया जाय।
- 4— पुलिस विभाग की मासिक काईम रिपोर्ट में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित करते हुये मासिक काईम रिव्यू बैठक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को ऐजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जाए, तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-3(249)/2007, दिनांक-23, दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में समयान्तर्गत आख्या उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 5— जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत है, के सहयोग से जनपद के समस्त थाना प्रभारी को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं अधिनियम का अनुश्रवण एवं प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से लगभग 2 घण्टे 30 मिनट का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण (orientation) कार्यक्रम किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं वोलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया का तकनीकी सहयोग/परामर्श प्राप्त किया जा सकता है, जिसका दूरभाष एवं ई-मेल नं0 निम्नवत् है:-
- (1) nodal.ntcp.up@gmail.com ,दूरभाष नं0 –05222629705
(2) healthpromotion@vhai.org , दूरभाष नं0–01147004300
- 6— जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का सहयोग लेते हुये पुलिस विभाग के अन्तर्गत सभी थानों/चौकियों को तम्बाकू-मुक्त घोषित करवाते हुये वहाँ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा-4 के अनुसार साइनेज लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस थाना/चौकी परिसर में आगन्तुकों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जाए।
- 7— सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय प्रवर्तन दलों का गठन किया जाय, जिसके सदस्य निम्नवत होंगे:-

- (1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (3) नगर स्वास्थ्य अधिकारी, (4) जिला विद्यालय निरीक्षक, (5) बेसिक शिक्षा अधिकारी, (6) मुख्य खाद्य निरीक्षक।
- 8— पुलिस प्रशिक्षण के समर्त पाठ्यक्रमों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित किया जाय व पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 9— भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में किये गये संशोधन के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या—रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2017–18/763, दिनांक—11/07/2017 (छायाप्रति संलग्न) का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय, यथा—धूप्रपान प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा नहीं प्रदान की जानी चाहिए यथा—हुक्का बार, खाने—पीने आदि की सुविधाओं पर प्रतिबन्ध।
- 10— Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा—18 (सी), Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 की धारा—77, Motor Vehicle Act, 1988 की धारा—95 (एच), Criminal Procedure Code की धारा—144, Indian Penal Code, 1860 की धारा—268, धारा—269 एवं धारा—278 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 11— Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा—18 (सी), के अनुसार प्रदेश में ई—सिगरेट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में यथा आवश्यकता पुलिस विभाग द्वारा सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 12— शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—1958/पॉच—7—2015—रिट—45/2013, दिनांक—06, अक्टूबर, 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उ0प्र0 राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन एवं प्रवर्तन किये जाने हेतु आवश्यक पुलिस सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाय।
- 13— होटल एवं रेस्टोरेन्ट में स्मोकिंग जोन के लिये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम—2003 के नियम एवं उपनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- 14— विषय की महत्ता के दृष्टिगत (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम—2003 के प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन हेतु पूर्व के निर्गत शासनादेश दिनांक 7—10—2015 के अनुक्रम में यह आवश्यक है कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाय। पुलिस महानिदेशालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को राज्य स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन के संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित मासिक समीक्षा करते हुए शासन को अपनी विश्लेषणात्मक आख्या प्रत्येक माह के 15 तारीख तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाय ताकि गृह विभाग के स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा की जा सकें। पुलिस महानिदेशक द्वारा मासिक समीक्षा की विश्लेषणात्मक आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 के ई—मेल nodal.ntcp.up@gmail.com एवं

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 उ0प्र0शासन के ई-मेल—homepolice015@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जाय।

“सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003,” (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन हेतु “समुचित प्राधिकारी” अधिकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है जिसका जिले के जिलाधिकारी के साथ समुचित समन्वय करते हुए उपयोग किया जा सकता है। पुलिस विभाग के स्तर पर यह भी अपेक्षित है कि अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन, काउन्सिलिंग की व्यवस्था आदि पर विशेष बल दिया जाय ताकि अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन मात्र दण्डात्मक हो करके न रह जाय। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो COTPA के नोडल अधिकारी है, (तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ इनके अधीन कार्यरत है) उनसे समन्वय स्थापित कर आवश्यक धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपर्युक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शासन को कृत कार्यवाही की आव्याहन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 2— मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 विशाल कम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 3— श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 4— रहायक प्रोग्रामर, गृह नियन्त्रण कक्ष, उ0प्र0शासन।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(विनय शंकर पांडेय)
उप सचिव।